



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एससी/एसटी एक्ट एवं अन्य गम्भीर धाराओं में 08 अभियुक्तगण को 05 वर्ष का कारावास व 1,28,000/- रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जलालपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 105/2008 धारा-147,323/149,342,354,504,506 भा0द0सं0 व 3(1)11 एससी/एसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.शिवकुमार पुत्र खरेलाल शुक्ला 2.सुनील पुत्र सियाराम 3.रम्मन उर्फ रमाशरण पुत्र कुंवरलाल 4.बबलू उर्फ हरीशरण पुत्र कुंवरलाल 5.गोविन्ददास पुत्र रामलाल 6.गोपाल उर्फ रामगोपाल 7.रामचरण पुत्र छोटेलाल 8.राजू उर्फ रामनरेश पुत्र छोटेलाल निवासीगण ग्राम पुरैनी, थाना जलालपुर, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 05 वर्ष का कारावास व 1,28,000/- रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



विशेष लोक अभियोजक
विजय सिंह



विवेचक-
क्षेत्राधिकारी जोगेन्द्र
लाल



पैरोकार
थाना-जलालपुर
का0 अमरेन्द्र नारायण